

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

जयपुर, सीकंड्री जयपुर [पि डब्ल्यू एम एम डब्ल्यू. वि.] तकनीक प्रभाग .।

जयपुर क्रमांक:जयपुर/विद्युत/अति.सु.अ. (वा)/ती-11/पे. 1053 जयपुर, दि.16/7/2001

जयपुर, सीकंड्री जयपुर, कंसली तारन मय टाकडालक पतिलको .।

आदेश -

जयपुर, सीकंड्री जयपुर, कंसली तारन मय टाकडालक पतिलको .।

विषय:- धरेलू,अधरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के बनाया
राशि वसूली के लिये रिषायती योजना ।

सीकंड्री जयपुर

निगम के आदेश क्रमांक जयपुर विद्युत/अति.सु.अ. (वा)/ती-11/पे.

807 दिनांक 8.6.2001 [पेपीअर 5-27] के द्वारा धरेलू,अधरेलू एवं

कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को डी.पी.एस/ब्याज की राशि माफ करने

की रिषायती योजना लागू की गई थी जो कि 15 जुलाई,2001 तक

वैध थी। इस रिषायती योजना की अवधि अब 31 जुलाई,2001 तक

बढाई जाती है । अन्य शर्तें पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेंगी ।

जयपुर, सीकंड्री जयपुर, कंसली तारन मय टाकडालक पतिलको .।

आज्ञा है,

जयपुर, सीकंड्री जयपुर, कंसली तारन मय टाकडालक पतिलको .।

16/7/2001

[ए. टी. गुप्ता]

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (वा.वि.वि.)

[पञ्जीत] तकनीक प्रभाग, जयपुर